पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2021 ई0 (चैत्र 27, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–16

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	295–303	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विमिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	159–164	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विमिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	165–194	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग

अधिसूचना

02 मार्च, 2021 ई0

संख्या 137/XXX(6)/2021–20(04)16–उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20, वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0–1337/XXXI(13)/G/2011 दिनांक 28.10.2011, 368/XLIII()/16–20(04)16 दिनांक 28.04.2016, 598/XLIII(1)/16–20(04)16 दिनांक 31.05.2016, 758/XLIII(1)/16–20(04)16 दिनांक 14.06.2016, 868/XLIII(1)/16–20(04)16 दिनांक 28.06.2016, 146/XLIII(1)/16–20(04)16 दिनांक 25.06.2018, 156/XLIII(1)/16–20(04)16 दिनांक 03.08.2018 एवं 144/XXX(6)/19–20(04)16 दिनांक 22.11.2019 में अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित करती है :–

1. वन विभाग:–

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	2	3	4	5	6	7
1	निजी भूमि पर स्थित वृक्षों के पातन की अनुज्ञा जारी किया जाना	डी0एफ0ओ उपनिदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 15 दिवस में	वन संरक्षक निदेशक	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन,व0ज0)	ऑनलाइन
2	निकासी/अभिवहन	डी0एफ0ओ उपनिदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 15 दिवस में	वन संरक्षक निदेशक	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, व0ज0)	
3	वन उपज का अभिवहन पास	डी0एफ0ओ उपनिदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 15 दिवस में	वन संरक्षक निदेशक	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, व0ज0)	
4	आरामिलों का नवीनीकरण	डी0एफ0ओ उपनिदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 30 दिवस में	वन संरक्षक निदेशक	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन,व0ज0)	ऑनलाइन
5	हक–हकूक	डी0एफ0ओ	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 45 दिवस में	वन संरक्षक निदेशक	मुख्यवन संरक्षक (प्रशासन, व0ज0)	
6	चराई हेतु अनुज्ञा–पत्र दिया जाना	डी0एफ0ओ उपनिदेशक	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 15 दिवस में	वन संरक्षक निदेशक	मुख्यवन संरक्षक (प्रशासन,व0ज0)	

2. पंचायती राज विभाग:-

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
1	जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र (जन्म से 30 दिन के भीतर)	सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	03 दिवस	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	जिला पंचायत राज अधिकारी	ऑनलाइन
2	जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र (जन्म से 30 दिन से 01 वर्ष के भीतर)	तदैव	07 दिवस	तदैव	तदैव	ऑनलाइन
3	जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र (01 वर्ष के उपरान्त)	तदैव	15 दिवस	तदैव	तदैव	ऑनलाइन
4	मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र (मृत्यु से 30 दिन के भीतर)	तदैव	03 दिवस	तदैव	तदैव	ऑनलाइन
5	मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र (30 दिन से 01 वर्ष के भीतर)	तदैव	07 दिवस	तदैव	तदैव	ऑनलाइन
6	मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र (01 वर्ष उपरान्त)	तदैव	15 दिवस	तदैव	तदैव	ऑनलाइन
7	परिवार रजिस्टर पंजीकरण व प्रतिलिपि	तदैव	03 दिवस	तदैव	तदैव	ऑनलाइन
8	निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	तदैव	03 दिवस	तदैव	तदैव	ऑनलाइन
9	शौचालय प्रमाण-पत्र	तदैव	03 दिवस	तदैव	तदैव	ऑनलाइन

3. समाज कल्याण विभागः—

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	सेवा का माध्यम
	(1)वृद्धावस्था पेंशन, (2) विधवा पेंशन (3) दिव्यांग पेंशन (4) किसान पेंशन (5)तीलू रौतेली पेंशन (6) बौना पेंशन					ऑनलाइन
1—अ		ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर स्वीकृत आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा	सहायक विकास अधिकारी पंचायत	जिलाधिकारी	
1—ब	ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन लाभार्थी हेतु	खण्ड विकास अधिकारी	ग्राम पंचायत से आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर स्वीकृत आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।	जिला विकास अधिकारी	जिलाधिकारी	
2—	शहरी क्षेत्रों के पेंशन लाभार्थियों हेतु	उपजिलाधिकारी	पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर स्वीकृत आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी	ऑनलाइन

3—	उपरोक्त दोनों प्रकार के पैंशन लाभार्थियों हेतु	जिला समाज कल्याण अधिकारी	(अ)खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीकरण एवं लाभार्थियों को स्वीकृत/अस्वीकृत की सूचना 15 दिवस के भीतर भेजी जायेगी।	मुख्य विकास अधिकारी,	जिलाधिकारी	ऑनलाइन
4—	दिव्यांग व्यक्ति को पहचान-पत्र जारी करना।	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर 07 दिवस के भीतर निर्गत किया जायेगा।	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी	ऑनलाइन

4. पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग—1:—

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवायें	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	सेवा का माध्यम
1.	जल संयोजन विच्छेदन	अधिशासी अभियन्ता	07 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक	ऑनलाइन
2.	सीवर संयोजन विच्छेदन एवं पुर्नसंयोजन	अधिशासी अभियन्ता	07 दिवस	अधिशासी अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक	ऑनलाइन
3.	जहां साध्य हो वहां पूर्व से स्थापित जल संयोजन/सीवर संयोजन का स्वामित्व या किरायेदारी का अन्तरण स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना।	अधिशासी अभियन्ता	07 दिवस	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक	ऑनलाइन

5. कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग:–

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवायें	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	सेवा का माध्यम
1.	रोजगार पंजीकरण	सम्बन्धित जिला/नगर सहायक सेवायोजन अधिकारी/ उपप्रमुख यू0ई0बी0	03 दिवस	सम्बन्धित क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	उपनिदेशक सेवायोजन	ऑनलाइन
2.	रोजगार पंजीकरण नवीनीकरण	सम्बन्धित जिला/नगर सहायक सेवायोजन अधिकारी/ उपप्रमुख यू0ई0बी0	03 दिवस	सम्बन्धित क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	उपनिदेशक सेवायोजन	ऑनलाइन
3.	पंजीकृत शैक्षिक योग्यता में वृद्धि	सम्बन्धित जिला/नगर सहायक सेवायोजन अधिकारी/ उपप्रमुख यू0ई0बी0	03 दिवस	सम्बन्धित क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	उपनिदेशक सेवायोजन	ऑनलाइन

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उपरोक्त ऑनलाईन प्रदान करायी जा रही सेवाओं का प्राविधान 'अपणि सरकार' पोर्टल में भी किया जायेगा।
5. उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना / तैनाती

25 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 156 / 2021 / 04(100) / XXVII(8) / 2021–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–5153 / आयु0रा0क0उत्तरा0 / स्था0अनु0 / रा0कर / 2020–21 / दे0दून, दि0 04.02.2021 के द्वारा किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित सहायक आयुक्त को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित नवीन तैनाती स्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती कल्पना त्रिपाठी	सहायक आयुक्त, सचलदल इकाई, किच्छा।	सहायक आयुक्त, आंतरिक परीक्षण, राज्य कर, हरिद्वार।	प्रशासनिक आधार पर।

02– उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देते हुए योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

सौजन्या,
सचिव।

शहरी विकास अनुभाग–2

अधिसूचना

03 मार्च, 2021 ई0

संख्या 378 / IV(2)–श0वि0–2021–08(सा0) / 2021–राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 429 क एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 237 क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद–हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को तत्काल प्रभाव से वधशालाविहीन क्षेत्र घोषित किये जाने, सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा सुसंगत अधिनियमों के तहत पशुवधशालाओं के संचालन हेतु दी गयी अनापत्तियों को निरस्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,
सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

26 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 160 / XX(1)–2021–3(12)2014–उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल–10) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर स्थायी पुलिस निरीक्षक, श्री रतनमणी पाण्डे को पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल–10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्थायी पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. उक्तानुसार पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिक को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा, जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम–24 में प्रावधान है।
2. उक्तवत् पदोन्नति पाने वाले कार्मिक की ज्येष्ठता उक्त सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ कालान्तर में सुसंगत नियमों के अनुसार निर्गत की जायेगी।
3. पदोन्नति के उपरान्त भी पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य भविष्य में प्रकाश में आता है, तो ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

3– प्रश्नगत पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या: 1393(एस / बी) / 2020 नदीम अतहर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, निर्देश याचिका संख्या–25 / डी0बी0 / 2020 श्री संदीप नेगी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य, निर्देश याचिका संख्या–80 / डी0बी0 / 2020 श्री राजेन्द्र सिंह रावत व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य एवं निर्देश याचिका संख्या–97 / डी0बी0 / 2020 श्री चंचल शर्मा व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,

अतर सिंह,
अपर सचिव।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

अधिसूचना

01 मार्च, 2021 ई0

संख्या–524/XL–1–2021–18/2004–अधिसूचना संख्या–1609/XXXX/2018–18/2004 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10 वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 152 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा0 गिरीश चन्द्र सिंह जंगपांगी, संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त नियमावली के भाग–16 के प्रयोजनों के लिये, उनके विद्यमान कर्तव्यों के अतिरिक्त सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिए आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष हेतु राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– डा0 गिरीश चन्द्र सिंह जंगपांगी को राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी के अतिरिक्त दायित्व हेतु कोई वेतन एवं अन्य भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,

राजेन्द्र सिंह,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 हिन्दी गजट/171–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2021 ई0 (चैत्र 27, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

01 मार्च, 2021 ई0

पत्रांक 161/2021–प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्र संख्या–301/XIV/a-45/Admin.A/2017, दिनांकित 19 जनवरी, 2021 के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 11–02–2021 से दिनांक 27–02–2021 तक कुल 17 दिनों के अर्जित अवकाश, दिनांक 28–02–2021 के रविवार अवकाश को पश्चातयोजित करते हुए, का उपभोग करने उपरान्त, आज दिनांक 01–03–2021 के पूर्वान्ह में सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), गंगोलीहाट, जिला–पिथौरागढ़ का पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

अनिल कुमार कोरी,
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक
मजिस्ट्रेट (प्र0श्रे0), गंगोलीहाट।

प्रतिहस्ताक्षरित,
ह0 (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(TAKEN OVER ON PROMOTION)

March 18, 2021

No. 1410/UHC/Admin.A/2021--Certified that the undersigned has taken over the charge of the office of the Deputy Registrar, in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital vide Notification No. 34/UHC/Admin.(A)/2021 dated 17.03.2021 as herein denoted in the forenoon of March 18, 2021.

RAMESH CHANDRA KANDPAL,

Relieving Officer.

Countersigned,

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand,

Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(TAKING OVER ON PROMOTION)

March 18, 2021

No. 1411/Admin.(A)/2021--Certified that the undersigned has taken over the charge of the office of the Deputy Registrar, in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital vide Notification No. 34/ UHC/Admin.(A)/2021 dated 17.03.2021 as herein denoted in the forenoon of 18 March, 2021.

VIDYA SAGAR PANT,

Relieving Officer.

COUNTERSIGNED,

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand,

Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(TAKEN OVER ON PROMOTION)

March 18, 2021

No. 1416/UHC/Admin.A/2021--Certified that the undersigned has taken over the charge of the office of the Deputy Registrar, in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital vide Notification No. 34/ UHC/Admin.(A)/2021 dated 17.03.2021 as herein denoted in the forenoon of March 18, 2021.

S.S. GUSAIN,

Relieving Officer.

Countersigned,

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand,

Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(TAKING OVER ON PROMOTION)

March 24, 2021

No. 1552/Admin.(A)/2021--Certified that the undersigned has taken over the charge of the Bench Secretary Grade-I, in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital vide Notification No. 37/ UHC/Admin.(A)/2021 dated 23.03.2021 as herein denoted in the afternoon of 23 March, 2021.

DIWAN SINGH BISHT,

Relieving Officer.

COUNTERSIGNED,

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand,

Nainital.

NOTIFICATION

March 17, 2021

No. 34/UHC/Admin.(A)/2021--Following officers of the Court are promoted to the post of Deputy Registrar in the pay scale of ₹ 78800-209200 (Level-12) in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital with effect from the date of their taking over charge:--

1. Sri Ramesh Chandra Kandpal.
2. Sri Vidya Sagar Pant.
3. Sri Surendra Singh Gusain.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

NOTIFICATION

March 18, 2021

No. 35/XIV/52/Admin.A--Sri Rajendra Joshi, District & Sessions Judge, Nainital is hereby sanctioned medical leave for 37 days w.e.f. 02.01.2021 to 07.02.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 18, 2021

No. 36/UHC/Admin.A/2021--Shri Sujeet Kumar, Judge, Family Court, Kotdwar, District Pauri Garhwal is given additional charge of office of the Additional District & Sessions Judge, Kotdwar, District Pauri Garhwal, until Ms. Pratibha Tiwari, Additional District Judges, Kotdwar, District Pauri Garhwal resumes her duties after availing maternity leave.

NOTIFICATION

March 23, 2021

No. 37/UHC/Admin.(A)/2021--Sri Diwan Singh Bisht, Bench Secretary Grade-II is hereby promoted to the post of Bench Secretary Grade-I in the pay scale of Rs. 67700-208700 (Level-11) in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital with effect from the date of his taking over Charge.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

NOTIFICATION

March 23, 2021

No. 39/XIV/69/Admin.A/2003--Smt. Rama Pandey, Additional District & Sessions Judge, Tehri Garhwal is hereby sanctioned child care leave for 26 days w.e.f. 15.02.2021 to 12.03.2021 with permission to prefix 13.02.2021 & 14.02.2021 as Second Saturday & Sunday holidays and suffix 13.03.2021 & 14.03.2021 as second Saturday & Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

March 23, 2021

No. 39/XIV-a/39/Admin.A/2016--Ms. Kalpana, Judicial Magistrate, Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 35 days w.e.f. 04.02.2021 to 10.03.2021 with permission to suffix 11.03.2021 as Mahashivratri holidays.

NOTIFICATION

March 23, 2021

No. 40/XIV-a-34/Admin.A/2015--Ms. Afiya Mateen, 8th Additional Civil Judge (Sr.Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 01.03.2021 to 12.03.2021 with permission to prefix 28.02.2021 as Sunday holiday and suffix 13.03.2021 & 14.03.2021 as second Saturday & Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विज्ञप्ति

16 फरवरी, 2021 ई0

संख्या–10652/तीन–27/रा0प0/2020–21–जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, हरिद्वार के पत्र संख्या–584/पे0का0, दिनांक 27 नवम्बर 2020 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–4 की उपधारा–(2) (क) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या–3741/सी0एच0आई0 ई0–454/53, दिनांक 21 नवम्बर 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके शासनादेश संख्या–44/XVIII(3) 2021-07(21)2008TC, दिनांक 10 फरवरी 2021 के अनुपालन में मैं, बाल मंयक मिश्र, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्राम में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने में इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबन्दी क्रियायें की जायेगी :–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1–	अब्दीपुर	लक्सर	गोरधनपुर	हरिद्वार

बी0एम0मिश्र,
संचालक चकबन्दी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

30 जनवरी, 2021 ई0

पत्रांक–30/पंजीयन निरस्त/2021–वाहन संख्या UK07PA1155 (BUS) मॉडल 2011 चैचिस MAT412049B0C06126 इंजन न0 11C63105466 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 06/01/2021 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.01.2021 से वाहन संख्या UK07PA1155 (BUS) मॉडल 2011 चैचिस MAT412049B0C06126 इंजन न0 11C63105466 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 हिन्दी गजट/171–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2021 ई0 (चैत्र 27, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद् मंगलौर, जिला हरिद्वार

16 फरवरी, 2021 ई0

नगर पालिका परिषद् मंगलौर–प्रस्तावित उपविधि

पत्रांक 1122/ग0प्र0/2020–21–नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 298, उपधारा 2, खण्ड (झ) (घ) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ङ), 15(च) एवं 15(यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पालिका परिषद् मंगलौर द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधि को अपने क्षेत्राधिकार में पालिका के आगामी बोर्ड बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त उपविधि को पारित किया जाता है तथा पूर्व में बनायी गई नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध उपविधि, 2016 को समाप्त किया जाता है।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

(1) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद मंगलौर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2019 कहलाएंगे।

(2) ये उप-नियम सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि, 2016, गजट नोटिफिकेशन 26 मई 2018 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगर पालिका परिषद मंगलौर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2019 लागू होने की तिथी से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. ये उप-नियम नगर पालिका परिषद मंगलौर की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू हैं:-

(क) "बल्क उघान और बागवान कचरा" का अर्थ हैं, उघानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास, कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग, टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता हैं।

(ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम,2016(जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्व वार्ड कार्यालय के अधिशासी अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक।

(ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना।

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं नगर पालिका परिषद मंगलौर के अधिशासी अधिकारी, अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी।

(ड) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया है।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली,फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अन्तर्गत किया जाना हैं।

(छ) "सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)" का अर्थ है, नगर पालिका द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र।

(ज) "कंटेनराइज्ड हैंड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पालिका या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला।

(झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पालिका के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पालिका द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पालिका या नगर पालिका द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना।

(ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं।

(ट) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)" का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मषीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस)कहा जा सकता है;

(ठ) "कूडा-कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल है, जिसे फैंकना अथवा संग्रह करना इन उप-नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव-जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचने की आशंका हो।

(ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं।

(ण) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) ''पैलेटाइजेशन'' का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईंधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईंधन कहा जाता है।

(फ) "निर्धारित'' का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित।

(ब) "सार्वजनिक स्थल'' का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान,जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही।

(भ) " संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पषुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके।

(म) "सैनेटरी वर्कर'' का अर्थ है, नगर पालिका के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियों को साफ करने के लिये नगर पालिका/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति।

(य) ''शेड्यूल'' का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्व शेड्यूल;

(र) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार" का अर्थ है, नगर पालिका द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें।

(ल) "खाली प्लाट" का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्व कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय -2

ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(i) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगाः-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पालिका के निर्देशो के अनुसार पृथक्कृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ii) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संग्रहीत करे निम्नांकित 3 वर्गो में:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसी के जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौंपेगा और उसके लिए नगर पालिका द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगाः-

हराः- जैव अपघटीय कचरे के लिए

नीलाः- गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए

कालाः- घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पालिका की भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग-अलग डिब्बों में संग्रहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालो को सौंपी जाए। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पालिका की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पालिका की भागीदारी से, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग-अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही. किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vii) कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पालिका को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग-अलग किया जाए, ताकि नगर पालिका द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सके।

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्सम्बंधी विनिर्माताओं या ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में

सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पालिका द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौंपेगा।

(x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय-समय पर नगर पालिका के निर्देशो के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पालिका या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय-समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(xii) निर्माण कार्यों और भवनों को ढ़हाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(xiv) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पषुवध सम्बंधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुंचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी नगर पालिका श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय-समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय-3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:-

(i) नगर पालिका के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पालिका संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विषेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्व क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पालिका द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(iii) कचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवषिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किया जाएगा।

(iv) सब्जी, फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएगें।

(vi) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।

(vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध है। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पालिका द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/आटो-टिप्पर्स/रिक्षा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड(iv) और (v) के अंतर्गत आने वालों को छोडकर) से उत्सर्जित पृथक किए

गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे आटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(x) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण,घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हार्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पालिका द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्व और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पालिका द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पालिका अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

(xii) तंग गलियों में, जहां आटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/ साईकिल रिक्शा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(xiii) अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहां थ्रीव्लीहर/ रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी।

(xv) आटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्त्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(xvi) नगर पालिका या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय-4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा-

(i) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(ii) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग-अलग स्टोरेज होगें:-

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पालिका द्वारा चिन्हित अलग-अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:-

- हरा: जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीला: गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए
- काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पालिका समय-समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(iv) नगर पालिका स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पालिका या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप-नियमों में वर्णित अनुसार अलग-अलग रंगो के होगे।

(vi) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(viii) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संग्रहीत किया जा सके।

(ix) नगर पालिका या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे साप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(x) सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पालिका अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर-घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानांतरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगर पालिका से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनुसार बेंच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशि रखने का हकदार होंगे।

(xi) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहां निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासंभव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पालिका अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय-5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:-

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभांति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर पालिका द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(ii) नगर पालिका द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आस-पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो- मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जाएगा।

(iv) जहां कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(v) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुंचाया जाएगा।

(vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम,2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

(vii) नगर पालिका कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगी। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार-बार परिचालन से बचा जा सके।

(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(x) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(xi) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(xii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

(xiv) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(xv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट आटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडादानों से कचरा प्राप्त करेगा।

(xvi) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर-घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे आटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें।

(xvii) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले।

(xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द-गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(xvx) नगर पालिका अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग:-

(i) नगर पालिका ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अंजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथिनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति।

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो- मिथिनेशन प्लांटो के जरिए।

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा आधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईंधन के रुप में अथवा फीड स्टाक आपूर्ति के रुप में ईंधन प्रदान करते हुए।

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(ii) नगर पालिका रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(iv) नगर पालिका सुनिश्चित करेगी कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा निर्देश -

(i) नगर पालिका सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैंक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(ii) नगर पालिका यह नियम प्रवृत्त करेगी कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(iii) नगर पालिका यह नियम प्रवृत्त करेगी कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।

(iv) नगर पालिका कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगी। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पालिका अवशिष्ट कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगी।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क:-

(क) कचरा उत्सजकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पालिका अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पालिका इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगी और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगी। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पालिका आनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगी।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राषि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांती वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंडः-

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार-बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता, सफाई निरीक्षक, कर निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चौकी/थाना प्रभारी होगें तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं अधिशासी अधिकारी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः-

(i) कूडा फेंकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलानाः अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलानाः अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फेकनाः किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैंकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालनाः कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सके।

(ड) स्वयं/पालतू पषुओं से गंदगीः कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटानः कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(ii) कचरे को जलानाः सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।

(iii) "स्वच्छ क्षेत्र": प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहे। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधयों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पालिका से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें।

(v) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पालिका द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पालिका की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पालिका के सम्बद्ध जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पालिका निम्नांकित ढंग से निपटेगा:-

(क) नगर पालिका किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पालिका निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है:-

(i) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (ii) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगी।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व:

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पालिका के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पालिका को आवश्यक

वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पालिका इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर-जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. नगर पालिका के दायित्व:

(i) नगर पालिका अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पालिका अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकती है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकती है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगी, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो।

(ii) नगर पालिका अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख-रखाव करेगी।

(iii) नगर पालिका विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगी, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल

अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम सफाई निरीक्षक या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तद्नुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पालिका जहां कही- अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगी, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती है। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशो के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) नगर पालिका अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii) नगर पालिका सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगी तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगी, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(viii) नगर पालिका कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे। नगर पालिका विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकती है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(ix) नगर पालिका स्वयं द्वारा रख-रखाव किए जा रहे सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगी और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगी। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(x) नगर पालिका ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगी और यह प्रयास करेगी कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया

जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।

(xi) नगर पालिका यह सुनिश्चित करेगी कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर पालिका कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगी।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पालिका को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) नियमित जांच: अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(xv) नगर पालिका अपने मुख्यालय में काल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगी। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(xvi) नगर पालिका एसडब्ल्यूएम नियमों और उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगी तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगी।

(xvii) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुंच: अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका अपनी ओर से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगी।

(xviii) नगर पालिका एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगी, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

अध्याय-10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मंगलौर के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय: नगर पालिका अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगी, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों में सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप-नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र सं	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में)
1	गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक)	कच्ची झोपडी रु 5.00, पक्का मकान रु 10.00
2	कम आय वाले घर (बी.पी.एल कार्ड धारक के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर)	रु 20.00
3	मध्यम आय वाले घर (रु 5000.00 से अधिक रु 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	रु 30.00
4	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	रु 40.00
5	सब्जि एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में रु 6.00 प्रतिदिन, दुकान एवं फड पर रु 10.00 प्रतिदिन
6	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम 200.00 रु 10 कि0ग्रा0 तक, उससे अधिक पर रु 01.00 प्रति कि0ग्रा0 प्रतिदिन अतिरिक्त
7	रेस्टोरेन्ट	छोटे रु 300.00, मध्यम रु 800.00 तथा बडे रु 2000.00

1	2	3
8	होटल/लाजिग/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक रु 300.00, 21 बेड से 40 बेड तक रु 500.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु800.00
9	धर्मशाला	रु 1.50 प्रति कमरा प्रतिमाह
10	बरातघर(चेरिटेबिल) बरातघर(नान-चेरिटेबिल)	रु 200.00 प्रति उत्सव रु 1000.00 प्रति उत्सव
11	बेकरी	रु 150.00
12	कार्यालय	50 कर्मचारियो तक रु 200.00, 51 से 100 कर्मचारियों तक रु 400.00,101 से 300 कर्मचारियों तक रु 500.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से रु1000.00
13	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(आवासीय)	100 बेड तक के लिए रु 2000.00,उससे अधिक रु 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
14	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय)	500 विद्यार्थियो तक रु1000.00, उससे अधिक रु1500.00
15	हास्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	20 बेड तक रु 500, 21 बेड से 40 बेड तक रु1000.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु 2000.00, उससे अधिक रु 2500.00
16	क्लीनिक/पैथोलोजी	क्लीनिक रु100.00, पैथोलोजी रु 500.00
17	दुकान/चाय की दंकान	मौहल्ले की छोटी दुकान रु 50.00, बाजार की दुकान रु 75.00, शोरुम रु 200.00, छोटे माल रु 1000.00,बहुमंजिला माल रु 2000.00, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निःशुल्क
18	फैक्ट्री	छोटी रु 600.00, मध्यम रु 1000.00, बडी रु 1500.00
19	वर्कशाप	छोटी रु 400.00, बडी रु 1000.00
20	कबाडी	छोटी रु 200.00,बडी रु 500.00

1	2	3
21	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रु 10.00 प्रतिदिन
22	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु 600.00 होटलों में, विवाह रु 2000.00 प्रति उत्साह
23	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घन मी0 तक रु 200.00, 1.0घन मी0 तक रु 400.00, 3.0घन मी0 तक रु 1000.00, 6.0घन मी0 तक रु 2000.00,इससे अधिक प्रतिघन मी0 रु 200.00 (अतिरिक्त)
24	सिनेमा हाल	रु 600.00 प्रतिमाह
25	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिस्ठान की स्थिति के अनुसार)	रु 200.00 से रु 2000.00 तक

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंम भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

क्र सं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जनरेटर	200 500
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	10,000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हाल,	5000

				मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	
				5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	500
				फिस,मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथक्करण तरीके से न रखना	500
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	1- सडक/गली में कूडा फैकना,थूकना		उल्लंघनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी।
		2- नहाना,पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना,गोबर नाली में बहाना			500
2	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।		आवासीय	200
				गैर-आवासीय/बल्क जन्रेटर	500
3				आवासीय	1000

	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	5000
4	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000
5	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000
6	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200
7	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				

8	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए	10,000
			बजार एसोसिएशन,संघ	20,000
9	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000
			संस्थान	20,000
10	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	50,000
			रेस्टोरेंट	20,000
11	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पौजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्राड आनर/स्वामी	1,00,000
12	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्राड स्वामी और विपणन कुपनियां	50,000
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मार्केट काम्पलेक्स आदि	50,000
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिंक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक /वाहन/चालक	1000

15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पालिका की उप विधि को होटल/ अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल /अतिथिग्रह स्वामी	1000
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस,मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, मंगलौर।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, मंगलौर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् मंगलौर, जिला हरिद्वार

16 फरवरी, 2021 ई0

पत्रांक 1123/ग0प्र0/2020–21–नगर पालिका परिषद् मंगलौर जिला हरिद्वार के बोर्ड की बैठक दिनांक 27.01.2020 में पारित प्रस्ताव संख्या 13 (16) (ग) द्वारा नगर पालिका परिषद्, मंगलौर के ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियमन उपविधि 2018 में आंशिक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया था जिसके क्रम में संशोधित सूचना का प्रकाशन हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में इस आशय से प्रकाशित कराया गया था कि उक्त संशोधित उपविधि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/अन्य को किसी प्रकार की शिकायत/आपत्तियां सुझाव हो तो उपविधि संशोधन के प्रकाशन की दिनांक से एक माह के भीतर किसी भी कार्यदिवस में अपनी लिखित आपत्ति/शिकायत/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं, किन्तु नियत अवधि तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत/आपत्ति/सुझाव कार्यालय नगर पालिका परिषद्, मंगलौर को प्राप्त नहीं हुई है। अतएव नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 298 (2)(जे)(डी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियमन उपविधि 2018 में अंतिम रूप से संशोधन को स्वीकार करते हुये गजट प्रकाशन की तिथि से लागू किया जाना स्वीकार किया जाता है–

ठेकेदारो का पंजीकरण एवं नियमन उपविधि-2018 (संशोधित)

क्र0 सं0	नगर पालिका परिषद मंगलौर "ठेकेदारों का पंजीकरण एवं नियमन उपविधि-2018का बिन्दु संख्या:- (3. उपविधि)	नियम (पूर्व में प्रकाशित)	उपरोक्त बोर्ड प्रस्ताव संख्या-13(16) (x) दिनांक 27-01-2020 के अनुपालन में (संशोधित)
1.	बिन्दु संख्या-3(3)(i)	श्रेणी "ए":- श्रेणी "ए" में पंजीकरण के लिये वें व्यक्ति ही मान्य होंगे जो सरकारी/अर्धसरकारी विभागो में तीन वर्ष में कम से कम अंकन 5000000	श्रेणी "ए":- श्रेणी "ए" में पंजीकरण के लिये वें व्यक्ति ही मान्य होंगे जो सरकारी/अर्धसरकारी विभागो में

		(पचास लाख रुपये) के कार्य सन्तोषजनक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गतए प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात नगर पालिका परिषद मंगलौर द्वारा प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरान्त पंजीकरण किया जायेगा। श्रेणी ''ए'' के ठेकेदार के विषय में अंकन 2500000 (पच्चीस लाख रुपये) का हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र (छः माह के अन्दर का) पेन कार्ड एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	गत वित्तीय वर्ष में कम से कम अंकन 10000000 (एक करोड़ रुपये) के कार्य सन्तोषजनक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात नगर पालिका परिषद मंगलौर द्वारा प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरान्त पंजीकरण किया जायेगा। श्रेणी ''ए'' के ठेकेदार के विषय में अंकन 2500000 (पच्चीस लाख रुपये) का हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र (छः माह के अन्दर का) पेन कार्ड एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2	बिन्दु संख्या-3 (3) (ii)	श्रेणी ''बी'':- श्रेणी ''बी'' में पंजीकरण के लिये वें व्यक्ति ही मान्य होंगे जो सरकारी/अर्धसरकारी विभागो में तीन वर्ष में कम से कम अंकन 2500000 (पच्चीस लाख रुपये) के कार्य सन्तोषजनक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात नगर पालिका परिषद मंगलौर द्वारा प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरान्त पंजीकरण किया जायेगा। श्रेणी ''बी'' के ठेकेदार के विषय में अंकन 1500000 (पन्द्रह लाख रुपये) का हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र (छः माह के अन्दर का) पेन कार्ड एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	श्रेणी ''बी'':- श्रेणी ''बी'' में पंजीकरण के लिये वें व्यक्ति ही मान्य होंगे जो सरकारी/ अर्धसरकारी विभागो में गत वित्तीय वर्ष में कम से कम अंकन 5000000 (पचास लाख रुपये) के कार्य सन्तोषजनक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात नगर पालिका परिषद मंगलौर द्वारा प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरान्त पंजीकरण किया जायेगा। श्रेणी ''बी'' के ठेकेदार के विषय में अंकन 1500000 (पन्द्रह लाख रुपये) का हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र (छः माह के अन्दर का) पेन कार्ड एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3	बिन्दु संख्या-3 (12)	पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार ही किसी कार्य के ठेके की निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।	पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार ही किसी कार्य के ठेके की निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे तथा ठेकेदारी पंजीकरण की अधिकतम संख्या-20 निर्धारित की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त सूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। नगर पालिका परिषद मंगलौर ठेकेदारों का पंजीकरण एवं नियमन उपविधि-2018 के शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

शाहिद अली,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, मंगलौर।

दिलशाद अली,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, मंगलौर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 हिन्दी गजट/171–भाग 8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।